भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3819

11 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया/आत्मनिर्भर भारत अभियान

3819. **श्री अभिषेक बनर्जी :**

श्री नामा नागेश्वर राव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा के लिए आबंटित निधि देश के आत्मनिर्भरता मिशन का एक भाग है जिसे मेक इन इंडिया/आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा देश भर में रक्षा व्यय पर आबंटित निधि का ब्यौरा क्या है और उक्त वर्षों के दौरान मेक इन इंडिया/आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत की गई पहलों के माध्यम से उद्योगों के भीतर फर्मों में सृजित रोजगार का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) मेक इन इंडिया के भाग के रूप में विगत पांच वर्षों के दौरान रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में स्थापित की गई नई फर्मों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में निवेश/व्यवसाय करने के लिए स्टार्ट-अप और एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) और (ख): भारत सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत ' पहल के अनुसरण में और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु आधुनिकीकरण बजट (पूंजीगत अधिग्रहण) के अन्तर्गत निधियां 75 :25 के अनुपात में निर्धारित की गई हैं जिसमें 75 प्रतिशत अर्थात 99,223.03 करोड़ रु. घरेलू स्रोतों से अधिप्राप्ति के लिए और 25 प्रतिशत अर्थात 33,078.24 करोड़ रु. विदेशी अधिप्राप्ति के लिए है ।

(ग): वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक रक्षा मंत्रालय की सभी 4 अनुदानों (अनुदान सं. 19-रक्षा मंत्रालय (सिविल), अनुदान संख्या-20 रक्षा सेनाएं (राजस्व) अनुदान सं. 21-रक्षा सेनाओं का पूंजीगत परिव्यय एवं अनुदान सं. 22 रक्षा पेंशन) का बजट प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन का ब्यौरा नीचे सारणी में दिय गया है :-

(रु. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन
2019-20	4,31,010.79	4,48,820.10
2020-21	4,71,378.00	4,84,736.06
2021-22	4,78,195.62	5,02,883.54
2022-23	5,25,166.15	5,84,791.10
2023-24	5,93,537.64	---

मेक इन इंडिया / आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसी नीतिगत पहलों ने रक्षा क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई)/स्टार्ट अप्स सहित उन उद्योगों की वृद्धि में गति प्रदान की है जिन्होंने अभूतपूर्व रोजगार अवसर सृजित किए हैं । तथापि, रक्षा मंत्रालय द्वारा कोई रोजगार डेटा नहीं रखा जाता है ।

(घ): उक्त सूचना संवेदनशील प्रकृति की होने के कारण इसका राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में प्रकटन नहीं किया जा सकता है ।

(ड.): सरकार ने विगत कुछ वर्षों में अनेक नीतिगत पहलें क्रियान्वित की हैं और देश में रक्षा विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) तथा स्टार्टअप्स सहित भारतीय उद्योगों द्वारा रक्षा उपस्करों के स्वदेशी अभिकल्पन, विकास एवं विनिर्माण को बढ़ावा देने में सुधार किया गया है जिससे देश में रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है। एमएसएमई / स्टार्टअप्स को सुविधा प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों से कुछ कदम निम्नवत हैं :-

(i) डीएपी-2020 की आईडीईएक्स, टीडीएफ, मेक परियोजना जैसी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत संवर्धन, रक्षा उत्पादों के विकास में एमएसएमई / स्टार्टअप्स की भागीदारी को बढ़ावा देना । इन योजनाओं के अन्तर्गत अनेक एमएसएमई/स्टार्टअप्स रक्षा उत्पादों के अभिकल्पन और विकास में कार्यरत हैं ।

(ii) एमएसएमई को रक्षा आपूर्ति श्रृंखला के अंदर लाने के लिए और इससे रक्षा में देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए तथा रक्षा निर्यात बाजार में योगदान देने के लिए भी रक्षा उत्पादन विभाग ने रक्षा में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए एक योजना

बनाई है । इस योजना के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में सेमीनार आयोजित करने के लिए उद्योग संघों को निधियां आवंटित की जाती हैं ।

(iii) अधिप्राप्ति संबंधी ऐसे मामलें जिनमें अनुमानित लागत आवश्यकता हेतु स्वीकृति प्राप्त करते समय सुपुर्दगी कार्यक्रम के आधार पर 100 करोड़ रु. प्रति वर्ष से अनधिक अथवा स्टार्टअप्स/एमएसएमई को बढ़ावा देने तथा औद्योगिक परितंत्र स्थापित करने के लिए 150 करोड़ रु. जो भी अधिक है, के लिए संगत क्षेत्र में मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स/एमएसएमई के बारे में दिवालियापन को छोड़कर वित्तीय मानदंड़ों की शर्त के बिना और मामला-दर-मामला आधार में निर्णय लिए जाने वाले सामान्य और तकनीकी मानदंड़ों के साथ प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) जारी करने पर विचार किया जा सकता है ।

(iv) निवेश आकर्षित करने और उच्चतर गुणक प्रदान कर रक्षा विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर बल के साथ ऑफसेट नीति में सुधार।

(v) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग द्वारा जारी एमएसई प्रापण नीति के यथा पारिभाषित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) से ईएमडी/बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं है।

(vi) एमएसई आदेश 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति का डीपीएसयू में कार्यान्वयन किया गया है जिसके तहत कतिपय शर्तों के अध्यधीन एमएसएमई बोली दाताओं को कीमत चयन की सुविधा प्रदान की गई है।

(vii) रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में निवेश/व्यापार के स्टार्ट-अप और एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए घरेलू निजी उद्योगों के माध्यम से खरीद के लिए निर्धारित बजट से, जो 24,805.76 करोड़ रुपये है, से स्टार्ट-अप और एमएसएमई के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 1500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। स्टार्ट-अप/एमएसएमई के संबंध में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के प्रावधानों का स्टार्टअप्स/एमएसएमई से मदें खरीदते समय अनुपालन किया जाता है।

******